# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/20**

1. रामकिशन पुत्र श्री धन्ना
2. उगमा पुत्र श्री रामचंद्र

तमाम जाति बैरवा निवासीगण सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

---प्रार्थीगण

बनाम

1. मोनत कंवर पत्नि श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. बजरंगसिंह पुत्र श्री उमराव सिंह जाति राजपूत निवासी सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर —अप्रार्थीगण

**वादपत्र अंतर्गत धारा 128 राज0 काश्तकारी अधि0**

उपस्थितः– श्री सुरेन्द्र सिंह धन्नावत – वकील प्रार्थी
श्री उम्मेदसिंह राठौड – वकील अप्रार्थी

## निर्णय

दिनांक 25.3.21

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर ग्राम सलारी तहसील केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2069–72 की निम्नवर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी करने की प्रार्थना की है:–

| खेवट खतौनी संख्या नयी – पुरानी | खसरा नंबर | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|
| 361– 334 | 2098 | 0.14 | बारानी उत्तम |
| | 2100 | 0.39 | बारानी उत्तम |
| | 2327 | 0.59 | बारानी उत्तम |

प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी के अलावा किसी दीगर व्यक्ति या अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 का विधिक अधिकार व हक हिस्सा नहीं है तथा अप्रार्थीगण 1 से 3 प्रार्थी के पड़ौसी है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की आराजीयात पर पत्थरगढ़ी नहीं होने के कारण जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने की धमकिया देते है तथा पत्थरगढ़ी के अभाव मे सीमा बाबत् आये दिन लड़ाई–झगड़ा प्रार्थी से करते रहते है। इसके बाद दिनांक 17.05.2020 को प्रार्थी अपने खेत की हकाई बुवाई करने गया तो अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 व उनके परिवार जन ने मौके पर पत्थरगढ़ी के अभाव मे सीमा के बाबत् विवाद किया तथा लड़ाई–झगड़ा करने लग गये। अतः प्रार्थना पत्र मे वर्णित प्रार्थी की आराजीयात की स्थायी पत्थरगढ़ी नाप चौप करवायी जावे। ताकि प्रार्थीगण अतः प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की स्थायी पत्थरगढ़ी नाप चौप करवाई जावे ताकि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 व उनके परिवारजन प्रार्थी से किसी प्रकार का झगड़ा फिसाद नहीं करे। अतः पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रकरण क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की तरफ से श्री उम्मेद सिंह एडवोकेट ने पावर पेश किया किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:23:51 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात वाकै ग्राम सलारी की जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या नया–पुराना 361–334 खसरा नंबर 2098,2100,2327रकबा क्रमशः 0.14,0.39,0.59 बारानी उत्तम प्रार्थी रामकिशन पुत्र धन्ना, तथा उगमा वल्द रामचंद्र जाति

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

राजपूत निवासी सलारी तहसील केकड़ी की खातेदारी की भूमि है। खातेदार को स्वयं की खातेदारी की आराजी का सीमाज्ञान अथवा पत्थरगढ़ी करवाये जाने का हक अधिकार प्राप्त है। अतः प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु तहसीलदार केकड़ी दक्ष कार्मिको की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाये तथा स्थायी सीमाचिन्ह अंकित करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:23:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner